

FORM NO. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपरोक्त मजिस्ट्रेट मुकाम डुडुडा
विरवल बनाम रागनाथ
 मुकदमा 510-क 31277 नं. सन

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
23/5/18	<p>पनापली पोस्ट डंडी व कीला पक्षकारों इपठो व कीला वारी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त मजिस्ट्रेटों की तहसील में पोस्टकारों/पनापली वारी तहसील सिंगड >/5/18 को करवाए।</p> <p style="text-align: center;">↓ उपखण्ड अधिकारी डुडुडा (गज)</p> <p style="text-align: center;"><u>सुप्रीम लोक अदालत केंद्र, डुडुडा</u></p>	
2/6/18	<p>आफ पट पनापली राफस लोक - अदालत केंद्र काड पर विभागपुर में पोस्ट डंडी/पक्षकारों के कोष पर उपस्थित गरी आगे प्रकाश को उपखण्ड फल पर आदेश के लिए जाकर उपखण्ड सिंगड गया। उपखण्ड द्वारा द्वारा सिंगड 20-5-14 को अल्पार्थ निवेदाओं आदेश पर काड मजिस्ट्रेटों को कोष व रिफार्स की यथास्थिति काड शर्तों हेतु जाण्ड करने उठे वकीला आदेश को 039 R 3 CPL की जाखाना मल हेतु निर्देशित किया गया है परंतु वकीला प्रार्थी काड 039 R 3 CPL की जाखाना गरी की है।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नरपश्चात् दिनांक 23-5-18 को हाथीप
हाथीप गाँव की नलकी जर्दिक रजिस्टर्ड
नलकी वर केर काचि हेर निरेशित
किरुगाँव व पल्लु वकील पार्सी द्वारा
हाथीप की पालना हाथीप गाँव की
नलकी केर गरी की गई है। इस प्रकार
वकील वरी द्वारा प्रकल्प के कारे किये
गरी नलकी वी माफावद के शादियों की
पालना न करके माफावद के कर को जाया
करना प्रतीत है। अतः यह प्रकल्प प्रग
पार्सी हाथीप नलकी के वरदिकिया
जाता है। प्रकल्प की फल सुगा होकर र
गम्कले कर हो एव वार नलकी वीला
वार के फल सुगा होकर सादिल फल है।

उपरोक्त अधिकारी
सावर (नलकी)